

बिहार सरकार  
गृह विभाग (विशेष शाखा)

आदेश

ज्ञापांक- जी/आपदा-06-02/2020-91 पटना, दिनांक- 06 जनवरी, 2022


राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक- 38, दिनांक-04.01.2022 के माध्यम से निर्गत दिशा-निर्देश निर्गत हैं, जो दिनांक-21.01.2022 तक प्रभावी हैं।

2. एतद् द्वारा उक्त आदेश की कंडिका- 3 को निम्नवत् संशोधित/अन्तःस्थापित किया जाता है :-

3. सभी विद्यालय/महाविद्यालय, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे, परन्तु उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाईन शिक्षण कार्य संचालित किये जा सकेंगे। केन्द्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएँ तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएँ संचालित की जा सकेंगी।

अपवाद :- पुलिस एवं होम गार्ड के प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बन्द/संचालित किये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

विभागीय ज्ञापांक- 38, दिनांक 04.01.2022 के शेष आदेश यथावत् रहेंगे।


  
6.1.22

(आमिर सुबहानी)

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक- जी/आपदा-06-02/2020-91 पटना, दिनांक- 06 जनवरी, 2022


प्रतिलिपि-सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(विकास वैभव)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- जी/आपदा-06-02/2020-91 पटना, दिनांक- 06 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार  
गृह विभाग (विशेष शाखा)

आदेश

ज्ञापांक- जी/आपदा-06-02/2020-90 पटना, दिनांक- 06 जनवरी, 2022

राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक- 38, दिनांक-04.01.2022 के माध्यम से निर्गत दिशा-निर्देश निर्गत हैं, जो दिनांक-21.01.2022 तक प्रभावी हैं।

2. एतद् द्वारा उक्त आदेश की कंडिका- 1 को निम्नवत् संशोधित/अन्तःस्थापित किया जाता है :-

1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।

अपवाद :- आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे।

न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

विभागीय ज्ञापांक- 38, दिनांक 04.01.2022 के शेष आदेश यथावत् रहेंगे।



(आगिर सुबहानी) 6.1.22

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक- जी/आपदा-06-02/2020-90 पटना, दिनांक- 06 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि-सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(विकास वैभव)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- जी/आपदा-06-02/2020-90 पटना, दिनांक- 06 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।